# स्वास्थ्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

## झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद, राँची

संoसंo-10 / पारामेडिकल-07-09 / 2012 081/ झाo राo पाo पo, राँची/ दिनांक:- 26/8/15

### विनियामावली

झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं0 पारामेडि-11-09 / 09-356(7ए) दिनांक 17.09.2010 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड पारामेडिकल / पारा डेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल काउन्सिल नियमावली, 2010 के धारा 5-क एवं धारा-23 में निहित प्रावधान के आलोक में गैर सरकारी एवं सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के स्थापना निमित अर्हता, नामांकन प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, सीट का वर्गीकरण, परीक्षा संचालन एवं प्रमाण-पत्र, निबंधन, नियंत्रण इत्यादि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है।

1. **सीट का वर्गीकरण :**

सरकारी संस्थानों में छात्रों के नामांकरण हेतु सीट का कोई वर्गीकरण नहीं होगा सभी सीट झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा नियमानुसार अनुशंसा के अनुसार पूर्व की भाँति भरे जायेंगे।

गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन मुक्त सीट (Open seat) एवं प्रबंधन सीट (Management seat) में होगा। झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद (जे0एस0पी0सी0) द्वारा निर्धारित कुल सीटों में 20% सीट मुक्त सीट एवं शेष (80%) प्रबंधन सीट होंगे।

2. **चयन प्रक्रिया :**

(क) वर्तमान में सरकारी पारामेडिकल संस्थानों में छात्रों के नामांकन हेतु पूर्व से ही झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (जे0सी0ई0सी0ई0) पर्षद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं काउंसिलिंग की जा रही है।

राज्य के गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु छात्रों को 20% मुक्त सीट हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है। राज्य के गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान जे0सी0ई0सी0ई0 पर्षद द्वारा आयोजित काउंसिलिंग में 20% मुक्त सीट हेतु भाग लेंगे एवं पर्षद द्वारा चयनित छात्रों का नामांकन करेंगे।

(ख) गैर सरकारी पारामेडिकल विद्यालय / संस्थान में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र का चयन (80% प्रबधन सीट हेतु) गैर सरकारी संस्थान द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा / ISc. पास के आधार पर बनाई गई मेधा सूची के अनुसार होगा। इस प्रकार बनाई गई मेधा सूची से ही संबंधित संस्थान नामांकन ले सकेंगे। नामांकन के पश्चात गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान चयनित छात्रों की सूची झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद को सत्र के प्रथम वर्ष शुरू होने के तुरंत बाद ही समर्पित कर देंगे। 20% मुक्त सीट के बचे सीटों पर संबंधित गैर सरकारी संस्थान नामांकन के लिए वर्तमान में बनाई गई मेधा सूची से नामांकन हेतु स्वतंत्र होंगे एवं इस प्रकार के छात्रों की सूची को भी झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद को समर्पित करेंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का वर्गीकरण नियमावली की कंडिका-1 के

9. मान्यताप्राप्ति (Recognition of the Institution):

नये सरकारी एवं गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थान/सरकार द्वारा Essentiality Certificate अथवा No Objection Certificate प्राप्त संस्थान "झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद गठन नियमावली 2010" की कंडिका 15 से 25 के अनुसार विहित प्रपत्र–I एवं अनुमान्य शुल्क के साथ कार्यकारी निदेशक को आवेदन करेंगे एवं मान्यताप्राप्ति के पश्चात् तदनरूप आचरण हेतु वचनबद्ध होंगे।

"झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद गठन नियमावली 2010" की कंडिका 16 की उपकंडिका (ग) के अनुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को सामान्य जाँच के निमित्त प्रति वर्ष रू 5000/–का भुगतान पारामेडिकल परिषद को करना होगा।

10. पाठ्यक्रमों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं परीक्षा :

नामांकित छात्रों के प्रतिदिन की सैद्यांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएँ, टर्मिनल परीक्षाएँ, सेन्टअप टेस्ट आदि का संचालन संबंधित पारामेडिकल विद्यालय/संस्थान के द्वारा होगा परन्तु उन छात्रों की मुख्य परीक्षा (जिसके द्वारा अंक–पत्रक, डिप्लोमा/सर्टीफिकेट प्रदान किया जायेगा) परिषद द्वारा पूरे राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के लिये आयोजित परीक्षाओं के साथ ही ली जायेंगी और परीक्षाफल का प्रकाशन, अंक–पत्रक एवं प्रमाण पत्र परिषद द्वारा ही दिया जायेगा। परीक्षाएँ प्रति वर्ष परिषद द्वारा दो बार आयोजित की जायेगी।

पारामेडिकल के सभी पाठ्यक्रमों के सिलेबस राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के द्वारा अनुशंसित होंगे एवं राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थानों पर समान रूप से लागु होंगे। आवश्यकतानुसार सिलेबस को समय–समय पर विभागाध्यक्षों द्वारा अधिक प्रासंगिक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से परिवर्तित किया जा सकेगा।

| | |
|---|---|
| 25/3/14 | 25/3/14 |
| (प्रो॰ डॉ॰ विवेक कश्यप) | (डॉ॰ सुमन्त मिश्रा) |
| प्राध्यापक, पी॰एस॰एम॰ विभाग, रिम्स, सह | निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ सह |
| सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निदेशक, | अध्यक्ष, |
| झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद,राँची | झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद,राँची |

ज्ञापांक ..................../झा.रा.पा.प.,राँची      दिनांक..........................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चि॰ शि॰ एवं प॰ क॰ विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

(प्रो॰ डॉ॰ विवेक कश्यप)
सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निदेशक

नोटः चिकित्सा शास्त्र के Basic sciences यथा Anatomy, Physiology एवं Biochemistry के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

**शैक्षणिक अर्हताः**

1. प्राचार्य :– पारामेडिकल विषय में स्नातकोत्तर अथवा एम.बी.बी.एस.– पाँच वर्षों के अनुभव सहित अथवा पारामेडिकल विषय में स्नातक 7 वर्षों के अनुभव सहित अथवा एम.बी.बी.एस. एवं एम.डी. – दो वर्षों के अनुभव सहित।

2. ट्यूटरः– विषय विशेष में डिप्लोमा– पाँच वर्षों के अनुभव सहित अथवा डिग्री– दो वर्षों के अनुभव सहित अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एम.बी.बी.एस.।

ख. गैर शैक्षणिक कर्मीः कार्यालय एवं प्रशासनिक कर्मी, लेखापाल, कम्प्युटर ऑपरेटर, लिपिक, आदेशपाल आदि आवश्यक्तानुसार।

| | न्यूनतम मानक |
|---|---|
| (ग) पुस्तकालय भवनः (With adequate concerned books, books shelves, furniture etc.) | 1000 वर्गफीट |
| (घ) आवासीय क्षेत्रः(वांछित) | **न्यूनतम मानक** (वाँछित) |
| i. प्राचार्य आवासः– | 2000 वर्गफीट |
| ii. छात्रावासः– | |
| (क) छात्रों के लिये शय्या क्षमताः | 2000 वर्गमीटर |
| (ख) छात्राओं के लिए शय्या क्षमताः | 2000 वर्गमीटर |
| (ङ.) रम्यता क्षेत्रः– | **न्यूनतम मानक** |
| i. छात्रों के लिए कॉमन रूमः | 56 वर्गमीटर |
| ii. छात्राओं के लिए कॉमन रूमः | 56 वर्गमीटर |
| iii. भण्डारः | 50 वर्गमीटर |
| iv. म्यूजियमः | 50 वर्गमीटर |
| v. शौचालयः | 90 वर्गमीटर |

**8. क्लीनिकल सम्बद्यता एवं शुल्कः**

पारामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु कम से कम 50 बिस्तरों का (डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए) या 30 बिस्तरों का (प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए) आवश्यक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल होना आवश्यक है, जो प्रस्तावित संस्थान के समीप हो। 50 बिस्तरों के अस्पताल की अनुपलब्धता की स्थिति में संस्थान अधिकतम दो अस्पतालों से सम्बद्यता प्राप्त कर सकेगी। एक अस्पताल एक से अधिक संस्थानों को सम्बद्यता नहीं दे सकेंगे।

चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान द्वारा संचालित पारामेडिकल संस्थानों में सम्बंधित विभागों द्वारा पारामेडिकल पाठ्यक्रमों का शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

गैर सरकारी पारामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु पाठ्यक्रमानुसार अस्पताल / प्रयोगशाला / डायग्नोस्टिक केंद्र/शल्य कक्ष आदि की सम्बद्यता आवश्यक होगी एवं सम्बद्यता का प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होगा। परिषद द्वारा निरीक्षण किये जाने पर सम्बद्य अस्पताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

III. प्रयोगशाला कक्ष एवं पाठ्यक्रमवार उपकरण:

| Minimum Requirements | Rooms | Equipments |
|---|---|---|
| X ray Tech. | X ray room-1<br>Dark room-1 | Good X-Ray Machine of minimum 100 mha is required (preferably 300 Mha) with safety features and dark room with all necessary equipments and reagents for processing of films. |
| ECG Tech. | Rooms: 1 for ECG & 1 for changing | Good Machine for Electro Cardiology Graphy with support materials. No. of Machines -4 |
| O.T Asst. & Certificate course of Dresser | Rooms: 1for OT, 1 for recovery, 1 for changing/ transit | Autoclave Machine, Sterilizer, All Surgical Equipment, Functional O.T Table & O.T Light |
| Ophth. Asst. | Rooms: 1for OT, 1 for Refraction, 1 for changing/ transit | Vision box, Refraction box, Refraction Mirror, Auto refractometer, Retinoscope, Ophth. O.T. with all equipments and apparatus |
| Dental Tech. | Rooms: 1for OT, 1 for OPD, 1 for changing/ transit | Dental Chairs-5, Dental O.T., all necessary Dental equipments and Apparatus |
| USG Tech. | Rooms: 1for USG, 1 for changing/ transit | USG Machine of Good quality-02, Proper USG bed for performing USG |
| Medical Lab. Technician | Rooms: 1for Pathology, 1 for Cytology, 1 for Storage | All Pathological & Cytological equipments and Reagents |
| Diploma in Physiotherapy (DPT course) | Rooms: 4-5 dedicated rooms for the purpose | Physiotherapy laboratory with all necessary equipments and materials related to Physiotherapy.<br>(Note: DPT course will preferably be carried out in Medical Colleges/ Medical Institutions were MBBS course is presently running or in specialized Institutions where all Physiotherapy facilities are available) |
| Anesthesia Tech. | Rooms: 1for OT, 1 for recovery, 1 for changing/ transit | Autoclave Machine, Sterilizer, All Surgical Equipment, Functional O.T Table & O.T Light, Boyle's apparatus, all other anesthetic equipments and material |
| Sanitary Inspector | Rooms: 1 for demonstration, 1 for Public Health Laboratory | All Public Health models, charts and materials like Disinfectants, Insecticides, food samples, contaminants, Weighing machines, Thermometers etc. |
| Audiometry Tech. | Rooms: 1 for demonstration, 1 Sound proof room | All equipments necessary for testing of hearing, Different types of hearing Aids |

(Note: Details of Laboratory/ OT rooms and equipments are available in the concerned Check-list)

IV. शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक न्यूनतम कर्मी:

क. प्राचार्य एवं शैक्षणिक कर्मी:

1. प्राचार्य –01
2. पाठ्यक्रम समन्वयक सह ट्यूटर–01 } प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु
3. पाठ्यक्रम ट्युटर–01

अनुसार होगी। यदि जे0सी0ई0सी0ई0 पर्षद द्वारा 20 प्रतिशत सीट काउन्सिलिंग के उपरांत नहीं भरे जा सके हैं तो प्रथम 20 प्रतिशत सीटों में बचे सीटों का नामांकन गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रबंधन शुल्क के अनुरूप ही होगा। प्रबंधन सीटों का शुल्क इस नियमावली की कंडिका–4 के अनुरूप लिया जा सकेगा।

3. आरक्षण :

सरकार के पारामेडिकल संस्थानों में पूर्व से चले आ रहे आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी एवं सरकार के निर्देश से ही नियमानुसार परिवर्तन होगा।

संरकार के आरक्षण के नियम गैर सरकारी संस्थानों में लागु होंगे। नामांकन हेतु आरक्षण का आदर्श रोस्टर का पालन करना आवश्यक होगा। आरक्षण हेतु आंध्र प्रदेश पारामेडिकल परिषद के Circular No.- 75/APPMB/2008 dated 17-5-2008 के कण्डिका 5 " Rules of Reservation shall be strictly followed while making selection for both Government Quota seats and management seats. The seats reserved for Scheduled Tribes shall be made available to Scheduled Castes and vice-versa, if qualified candidates are not available in the category. If qualified candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available, the left over seats reserved for them shall be treated as open competition seats and shall be filled up with the candidates of general pool." को अंगीकृत किया जाता है। (छायाप्रति संलग्न)

4. शुल्क की संरचना :

वर्त्तमान में झारखण्ड के सरकारी संस्थानों में पूर्व से ही पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के शुल्क का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है:

| Sl. No | Fee Details | Amount Ist. Year (Rs.) | | Amount IInd. Year (Rs.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | General & OBC | SC & ST | General & OBC | SC & ST |
| 1 | Admission fee | 100 | 100 | ------- | -------- |
| 2 | Tuition Fee per year | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Science fee per year | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 4 | Caution Money (one time) | 1500 | 1500 | ------- | -------- |
| 5 | Games and sports per year | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Development fee per year | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| | Total | 5060 | 4060 | 3460 | 2460 |

उपरोक्त शुल्क का निर्धारण वर्ष 2006 में सरकार द्वारा किया गया था। वर्त्तमान में यह राशि पर्याप्त नहीं है, अतः इसमें क्रमशः Tution fee को रू 600/- से 3600/– (रू 300/– प्रति माह) एवं Science fee को रू 360/- से 1200/– (रू 100/– प्रति माह) की बढ़ोतरी कर प्रस्ताव सरकार के पास अनुशंसा हेतु भेजी जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान के प्रचार्य/निदेशक होंगे एवं इस राशि का लेखा संधारण पृथक रूप से किया जायेगा।

गैर सरकारी संस्थानों के मुक्त सीट (20%) पर नामांकित छात्रों से उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क लेने की बाध्यता होगी। 80% प्रबंधन सीट पर नामांकन हेतु गैर सरकारी संस्थान अपना शुल्क उपरोक्त निर्धारित प्रस्तावित शुल्क से अधिकतम 5X ( पाँच गुणा ) तक कोटिवार रूप से ले सकेंगे। मुक्त सीट

(20%) के अंतर्गत बचे हुये शेष सीट पर नामांकन प्रबंधन सीट के शुल्क के अनुसार लिया जा सकेगा। गैर सरकारी संस्थानों को अपनी फीस के विवरणी की घोषणा जे0एस0पी0सी0, राँची एवं जे0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड, राँची को काउंसिलिंग के पूर्व करना होगा, एवं इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी। किसी भी परिस्थिति में कैपिटेशन शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाँच वर्षों के पश्चात सरकारी पारामेडिकल संस्थानों में सरकार अथवा परिषद द्वारा शुल्क वृद्धि हेतु विचार किया जायेगा।

**5. नामांकन की अर्हता एवं मापदंड :**

राज्य के सरकारी पारामेडिकल संस्थानों एवं गैर सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के 20% मुक्त सीट पर नामांकन की अर्हता एवं मापदण्ड जे0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड द्वारा पारामेडिकल कोर्स के नामांकन हेतु प्रासंगिक Prospectus के आधार पर होगी। शेष प्रबंधन सीट (80%) एवं शेष बचे हुये मुक्त सीट पर नामांकन की अर्हता इन्टरमीडिएट इन साइंस (ISc.) होगी।

**6. नामांकन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करना :**

सरकारी संस्थानों के समस्त सीट एवं गैर सरकारी संस्थानों के 20% मुक्त सीट पर नामांकन हेतु परीक्षा नियंत्रक, जे0सी0ई0सी0ई0 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। विज्ञापन एवं प्रासंगिक विवरणी (Prospectus) में शुल्क, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं गैर सरकारी संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या आदि का विस्तृत विवरण होगा। शेष 80% प्रबंधन सीट एवं बचे हुए मुक्त सीटों के लिए संबंधित गैर सरकारी संस्थान स्वंय आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे एवं विनियमावली की कण्डिका 2 के अनुसार छात्रों का चयन करेंगे।

**7. पारामेडिकल संस्थानों की भौतिक संरचना :**

| भवन | न्यूनतम मानक |
|---|---|
| (क) प्रशासनिक क्षेत्र: | |
| I. प्राचार्य कक्ष: | 120 वर्गफीट |
| II. प्रधान कार्यालय: | 300 वर्गफीट |
| III. गोपनीय क्षेत्र: | 300 वर्गफीट |
| (ख) प्रशिक्षण क्षेत्र: | |
| I. व्याख्यान कक्ष: | |
| (क) 30 छात्रों के लिए: | 400 वर्गफीट |
| (ख) 60 छात्रों के लिए: | 600 वर्गफीट |
| (प्रत्येक दो कोर्स पर कम से कम एक व्याख्यान कक्ष होगा) | |
| II. ट्यूटोरियल / प्रायोगिक कक्ष: | 300 वर्गफीट |
| (प्रत्येक दो कोर्स पर कम से कम एक ट्यूटोरियल कक्ष होगा) | |